

मेरे द्वारा दिनांक 19.03.2023 को गाजियाबाद जाने के लिए सरकारी वाहन संख्या UP70AG-2010 से जाने हेतु अनुमति पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त अनुक्रम में कुल 400 किमी. स्थानीय प्रयोग एवं गाजियाबाद जाने व आने के लिए माह मार्च 2023 में यात्रा की गयी, जिसमें से 200 किमी. छूट माह मार्च 2023 में काटने के उपरान्त 200 किमी. का किराया मु. 03 रुपये प्रति किमी. की दर से कुल 600/- रुपये भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 24.03.2023 को चालान संख्या C000029 से जमा कर दिये गये हैं।  
जमा की गयी धनराशि के बैंक चालान की प्रति संलग्न है।

द. गागर प्रपत्र - 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2  
प्रपत्र संख्या 43ए (1)  
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)  
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) संस्था के नाम धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
- पता

भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा मथुरा

प्रधान परिवार - जामालपुर मथुरा

- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या

(यदि आवश्यक हो)

- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
- चालान की सकल राशि
- चालान की निबल राशि
- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर
- लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट का कोड

शासकीय वाहन प्रयोग व्यय राशि

30025527 सरकार

Rs 600/-

Rs 600/-

007060800050000

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्यौरेवार शीर्षक	धनराशि(अंको में)
0070	60	8000	05	0000	Rs 600/-
					/

धनराशि (शब्दों में)

(कुल रु. साठ रुपये मात्र)

योग

Rs 600/-

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायलय, मथुरा

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या

C000029



अंको में रु0

शब्दों में रु0

दिनांक :

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/ बैंक की मुहर सहित